न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।

दाण्डिक वाद संख्या 823 सन् 2022

राज्य बनाम गुलजार।

<u>दिनॉक 31.10.2022</u>

प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ममता उपस्थित। उनके द्वारा उपस्थिति का मैमो प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 177 मोटर वाहन अधिनियम का अभियोग है। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि उपरोक्त धारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति की हैं। प्रस्तुत मामले को परिशमन के आधार पर दिनॉक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं।

न्यायालय द्वारा धारा 200 मोटर वाहन अधिनियम तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश, उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 संख्या–418/ix–1/53/2019 देहरादून दिनॉक 24 सितम्बर, 2019 का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत चालान के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 177 मोटर वाहन अधिनियम के अभियोग का चालान है। अभियुक्त को अंतर्गत धारा 177 मोटर वाहन अधिनियम में दण्डित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

तदनुसार अपराध शमन किये जाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 रू0 500 (पांच सौ रूपये), शासनादेश उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 संख्या–418/ix–1/53/2019 देहरादून दिनॉक 24 सितम्बर, 2019 के अनुसार नियत है।

अतः उपरोक्त शासनादेशानुसार प्रस्तुत मामले को परिशमन के आधार पर निस्तारित किये जाने के लिए परिशमन धनराशि कुल रू 500 (पांच सौ रूपये) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा किये जाने पर निस्तारित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

अभियुक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के समक्ष परिशमन धनराशि जमा कर यथाशीघ्र रसीद पत्रावली पर दाखिल करे ताकि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में परिशमन के आधार पर प्रस्तुत आपराधिक वाद का निस्तारण किया जा सके।

पत्रावली दिनॉक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में परिशमन के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु अग्रसारित की जाती है।

दिनॉक 31.10.2022

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।